उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड
तुलसी गंगा काम्पलेक्स, 19-सी, विधानसभा मार्ग,
लखनऊ , उत्तर प्रदेश- 226001

सूचना

रैंकर उप निरीक्षक ना0पपु0 के पदों पर विभागीय पदोन्नति परीक्षा के आधार पर भरी गयी रिक्तियों के कट आफ मार्क्स का प्रकाशन

संख्या :पीआरपीबी-अपील-47/2015 दिनांक: मार्च 8 ,2016

रैंकर उप निरीक्षक ना0पु0 के पर पर विभागीय परीक्षा के आधार पर पदोन्नति प्रदान किये जाने हेतु 5389 रिक्तियों हेतु अपर पुलिस महानिदेशक, स्थापना के पत्र संख्या डीजी-चार-106(400)2008 दिनांकित 10-06-2010 द्वारा प्राप्त अधियाचन के आधार पर बोर्ड द्वारा विज्ञप्ति संख्या: न-2/2-2009, दिनांकित 12-06-2010 जारी करते हुये आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे ।

2- प्रश्नगत चयन के सम्बन्ध में मा0 उच्च् न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या:3918/2011 आरक्षी विमल कुमार सिंह व अन्य बनाम उ0प्र0राज्य में पारित मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांकित 03-08-2012 के आलोक में उ0प्र0 उप निरीक्षक और निरीक्षक (नागरिक पुलिस) सेवा नियमावली 2008 (यथा संशोधित) में प्रावधानित उप निरीक्षक ना0पु0 के पद पर पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया के अनुसार बोर्ड द्वारा चयन की कार्यवाही की गयी। रैंकर उप निरीक्षक परीक्षा में पूर्व में भर्ती के वर्ष 1999- 2008 के अन्तर्गत जो चयन किये गये थे, उनमें कोई कट आफ तदसमय जारी नहीं किये गये थे। वर्तमान में इस सम्बन्ध में प्राप्त आवेदनों के दृष्टिगत तथा बोर्ड की पारदर्शिता एवं निष्पक्षता की नीति के दृष्टिगत भर्ती के वर्ष 1999, 2000 ,2001 ,2002,2003 ,2004, 2005 ,2006 ,2007 एवं 2008 की रिक्तियों के सापेक्ष चयन किये गये अन्तिम अभ्यर्थी के कट आफ अंकित किये जा रहे हैं, जिसमें भर्ती का वर्ष-1999 में 227.795200, 2000 में 226.298800, 2001 में 235.936000 , 2002 में 237.858000, 2003 में 241.112000, 2004 में 240.316800, 2005 में 238.998400, 2006 में 236.152800, 2007 में 236.849200, 2008 में 183.158800 अन्तिम चयनित अभ्यर्थी के कट आफ मार्क्स रहे तथा परीक्षा प्रक्रिया समाप्त होनेके पश्चात लिखित परीक्षा में असफल अभ्यर्थियों द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित सिविल अपील संख्या 6547/2014 (स्पेशल लीव पिटीशन(सी) संख्या: 2702/2014) अनिल कुमार एवं अन्य बनाम उ0प्र0राज्य एवं अन्य में आदेश दिनांक 18-7-2014 पारित किया गया । मा0 उच्चतम न्यायालय के पारित आदेश दिनांक 18-7-2014 के कार्यात्मक अंश निम्नवत है :-

".....The posts that have been filled up by successful candidates, as has been apprised to us at the Bar, are 3358 and the candidates who have joined in the said posts and presently working shall not be disturbed....."

".....The U.P. Police Recruitment & Promotion Board, Lucknow shall scrutinise the papers of all the candidates, namely, the persons who had approached the writ court and the candidates who had not approached the writ court and if they have attempted and answered the 18 questions, which were wrongly set out, they will be awarded full marks for said 18 questions....."

".....A fresh select list shall be drawn up taking into account the aforesaid marks in respect of 2031 posts which are available in presenti pertaining to the year 2008....."

3- उपर्युक्त सन्दर्भित सिविल अपील संख्या: 6547/2014 अनिल कुमार बनाम उ0प्र0राज्य व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई द्वारा पारित आदेश दिनांकित 18-07-2014 व विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या: 25377-25378/2014 कमर हसन खान व अन्य बनाम उ0प्र0राज्य व अन्य तथा अन्य सम्बद्ध एस0एल0पी0 संख्या: 25413-25421/2014, 25776-25779/2014 आदि में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 28-11-2014 तथा 10-08-2015 एवं स्पेशल अपील संख्या: 149(डी)/2013 उ0प्र0राज्य व अन्य बनाम सुधाकर पाण्डेय व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद खण्ड पीड, लखनऊ द्वारा पारित आदेश दिनांकित 30-07-2014 के अनुपालन के पश्चात प्रश्नगत परीक्षा के सभी चरणों में सफल अभ्यर्थीगण का रैंकर उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर पदोन्नति हेतु विभागीय परीक्षा के आधार पर चयन वर्ष 2008 की अवशेष 2033 रिक्तियों के सापेक्ष चयनित किया गया ।

4- मा0 उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के उपर्युक्त सन्दर्भित आदेशों के अनुपालन में वर्ष 2015 में रैंकर उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर पदोन्नति हेतु विभागीय परीक्षा के आधार पर चयन वर्ष 2008 की अवशेष 2033 रिक्तियों के सापेक्ष चयन हेतु की गयी कार्यवाही में वर्ष 2008 की अवशेष 2033 रिक्तियों में 223.33334 अन्तिम चयनित अभ्यर्थी का कट आफ मार्क्स रहे ।

दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक होने पर उ0प्र0 उप निरीक्षक और निरीक्षक(नागरिक पुलिस) सेवा नियमावली-2008(यथासंशोधित) में निहित प्राविधानों को ध्यान में रखते हुये उनके पारस्परिक श्रेष्ठता/वरीयताक्रम निर्धारित किये गये है । अत: अन्तिम चयनित अभ्यर्थी के कट ऑफ पर समान अंक पाने वाले सभी अभ्यर्थियों का चयनित होना आवश्यक नहीं है ।

5- यद्यपि इस सूचना को वेबसाइट पर अपलोड किये जाने में पर्याप्त सावधानी बरती गयी है, फिर भी किसी प्रकार की तकनीकी त्रुटि के लिए बोर्ड उत्तरदायी नहीं होगा और न ही त्रुटि पाये जाने पर इस त्रुटिपूर्ण अंक का किसी को किसी प्रकार का लाभ या अधिकार प्राप्त होगा या अनुमन्य होगा ।

6- यह सूचना सर्वसाधारण के लिए सूचित की जा रही है । अत: जो सूचनाएं इस सूचना के माध्यम से उपलब्ध करायी जा रही है, उनके सम्बन्ध में सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत पृथक से कोई प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगें और न ही उन पर बोर्ड द्वारा कोई विचार किया जायेगा ।

7- उपर्युक्त चयन के सम्बन्ध में स्पेशल लीव पिटीशन (सी) संख्या 25377-25378/2014 कमर हसन खान व अन्य बनाम उ0प्र0राज्य व अन्य में दिनांक 10-08-2015 को मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा विभिन्न बिन्दु पर योजित एवं सहवद विशेष अनुज्ञा याचिकाओं (Special Leave Petitions) का निस्तारण करते हुये आदेश पारित किये गये, जिसके प्रभावी अंश निम्नवत है:-

".....In view of our order passed in the interlocutory applications for directions, the special leave petitions stand disposed of. No order as to costs.

It is hereby made clear that no court shall entertain any grievance relating to this particular selection. *Our present order would not dislodge, if any candidate, who has already been selected or sent for training. Needless to emphasize, the present order has been passed regard being had to the special features of the case....."*

8- मा0 उच्चतम न्यायालय के उक्त आदेश दिनांकित 10-08-2015 के अनुपालन में मा0 उच्च् न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 5039 (एस/एस) /2015 शिव सिंह यादव व 03 अन्य बनाम उ0प्र0राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांकित 27-08-2014, रिट याचिका संख्या 58941/2015 छत्रपाल सिंह व 14 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या 59340/2015 कुलदीप सिंह व03 अन्य बनाम उ0प्र0राज्य में पारित मा0 उच्च् न्यायालय के आदेश दिनांकित 28-10-2015 , रिट याचिका संख्या 6550(एस/एस)2015 आरक्षी शिव चन्प्द्र मिश्रा बनाम उ0प्र0राज्य व अन्य में पारित मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 16-11-2015 द्वारा डिसमिस कर दिया गया है तथा रिट याचिका संख्या 4843(एस/एस) 2015 मनोज कुमार सिंह बनाम उ0प्र0राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांकित 19-08-2015 के विरूद्ध योजित ***स्पेशल अपील संख्या 506/2015 मनोज कुमार सिंह बनाम उ0प्र0राज्य अन्य में में मा0 उच्च न्यायालय , लखनऊ खण्ड पीठ, लखनऊ के आदेश दिनांकित 13-10-2015 द्वारा डिसमिस कर दी गयी है,*** जिसका कार्यात्मक अंश निम्नवत है :-

"..... Accordingly, this appeal stands dismissed as not pressed but with a warning to the petitioner-appellant that any other attempt to overreach the process of law may be visited with penalization....."

अपर सचिव/ प्रोन्नति
उ0प्र0पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड,
लखनऊ ।